

ज्यावालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला श्री गंगानगर

अन्वयान अनाम

प्रकरण संख्या अन्तर्गत धारा

| दिनांक | आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज | नम्बर एवं जो इस अध्याय पालना में |
|---------|--|----------------------------------|
| 17/8/22 | <p>अधिवक्तागण उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। प्रसंगिक का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 RPA अली-आति साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली निर्णय होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न है।</p> | |



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

